न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48 / 2019

बाबूलाल पुत्र स्वर्गीय भूरा जाति तेली निवासी ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— श्री मुरलीधर शर्मा वकील— प्रार्थी

तहसीलदार केकड़ी — पैरोकार सरकार

<u>आदेश</u>

दिनांक 02.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या नया—पुराना के खाता संख्या 787—794 भूरा पुत्र पोलू कौम तेली साकिन देह खातेदार के खसरा नंबर 849 रकबा 08.06.00बीधा किस्म बारानी 2 दर्ज था। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये सेटलमेन्ट के बाद बनी नयी जमाबंदी चौसाला संवत् 269—72 के खाता संख्या नया—पुराना 1269—1188 के खसरा नम्बर 1125 रकबा 1.3500 बा0 1 भूरा वल्द भोलू कौम तेली सा0 देह खातेदार दर्ज कर दिया जिसे पुनः सही किया जावे।

प्रार्थी बाबूलाल के प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार केकड़ी से करवायी गयी। तहसीलदार केकड़ी ने अपनी जॉच रिपोर्ट उनके पत्र कमांक / भू.अ. / 19 / 1054 दिनांक 28.0219 से प्रेषित कर निवेदन किया कि मुताबिक मिला क्षैत्रफल खसरा नम्बर 1125 रकबा 1.35 के गत नम्बर 149 मे भूरा पुत्र पोलू कौम तेली खातेदार का अंक है जबक खसरा नंबर 2069—72 की जमाबंदी भूरा वल्द भोलू कौम तेली दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सजरा व पटवारी हल्का व तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के आधार पर भूरा पुत्र पोलू का नाम सही हैं तथा पूर्व मे दर्ज नाम भूरा वल्द भोलू गलत है जो दुरूस्त किये जाने काबिल है। प्रार्थी बाबूलाल पुत्र भूरा तेली को दिनांक 18.11.2019 को तलब किया जाकर बयान लिये गये , अपने बयानो मे प्रार्थी बाबूलाल ने बताया कि उसके दादा का नाम पोलू दर्ज किया जाना आवश्यक है वर्तमान मे भोलू दर्ज है,जो गलत है। पारिवारिक सजरा के आधार पर प्रार्थी के दादा का नाम पोलू है जो सही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069—72 के खाता संख्या नया—पुराना 1269—1188 मे दर्ज भूरा वल्द भोलू के स्थान पर भूरा वल्द पोलू किये जाने का आदेश दिया जाता है। बाकी इन्द्राज यथावत् रहेगे। तहसीलदार केकड़ी आदेश की पालना मे राजस्व रिकार्ड रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.06 11:34:06 IST
Reason: SelfAttested